

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बालेसर

पीठासीन अधिकारी :- श्री रामजी भाई कलबी, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 24/2021

जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2021/90

अपीलान्त

1. गुलाबकंवर पत्नी श्री महेन्द्रसिंह पुत्री स्व. रूगनाथसिंह निवासी गांव माणाई, तहसील व जिला जोधपुर

बनाम

रेस्पोडेन्टस

1. सिरिकंवर पत्नी कृपालसिंह
2. सुरेन्द्रसिंह पुत्र कृपालसिंह
3. देवेन्द्रसिंह पुत्र कृपालसिंह
4. शोभाकंवर पुत्री कृपालसिंह निवासी गिलाकोर तहसील सेखाला जिला जोधपुर
5. परबतसिंह पुत्र रूगनाथसिंह उर्फ रघुनाथसिंह निवासी प्लॉट नम्बर 133 जेडएसबी बीजेएस आरटीओ ऑफिस के पास, जोधपुर
6. कानसिंह पुत्र रूगनाथसिंह उर्फ रघुनाथसिंह निवासी गिलाकोर तहसील सेखाला जिला जोधपुर
7. ग्राम पंचायत गिलाकोर तहसील सेखाला जिला जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम विरुद्ध
ग्राम पंचायत गिलाकोर नामान्तरकरण संख्या 533 दिनांक शुन्य
के विरुद्ध अपील

अधिवक्तागण :-

1. अपीलान्त अधिवक्ता श्री जेतूसिंह।
2. रेस्पोडेन्टगण 1 से 5 अधिवक्ता श्री आवडदान चारण
3. रेस्पोडेन्टगण 6 हनवन्तसिंह भाटी।
4. रेस्पोडेन्टगण 7 अनुपस्थित एक पक्षीय कार्यवाही।

-:: निर्णय ::-

दिनांक :- 10/6/2024

पत्रावली प्रस्तुत हुई। अपीलान्त अधिवक्ता द्वारा एक म्यूटेशन अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 का पेश किया था जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है:-

मौजा गिलाकोर तहसील शेरगढ हाल तहसील सेखाला मे कृषि भूमि खसरा नम्बर 355/1 कुल रकबा 35.18 बीघा भूमि स्थित है जिसके खातेदार स्व. रूगनाथसिंह उर्फ रघुनाथसिंह थे। खातेदार रूगनाथसिंह उर्फ रघुनाथसिंह का दिनांक 18.02.2003 को स्वर्गवास हो गया था उनकी मृत्यु के समय उनके प्रथम श्रेणी के वारिसान उनके तीन पुत्र कृपालसिंह, परबतसिंह एवं कानसिंह तथा एक पुत्री गुलाबकंवर तथा धर्म पत्नी धूलकंवर थी। धूलकंवर का निधन वर्ष 2014 मे हो गया था। कृपालसिंह का स्वर्गवास वर्ष 2011 मे हो गया जिनके वारिसान अपीलार्थी संख्या एक से चार अर्थात् श्री. रामजी रूगनाथसिंह उर्फ रघुनाथसिंहकी स्व. अर्जात भूमि थी एवं उनका निवसीयत



उपखण्ड अधिकारी,
बालेसर

स्वर्गवास हुआ इस कारण उपरोक्त भूमि में उनके सभी प्रथम श्रेणी के वारिसान को बराबर का अधिकार विरासत में अर्जित हुआ। अपीलान्त विवाहित है एवं अपने परिवार के साथ अलग निवास करती है इस कारण उसने विरासत में प्राप्त उक्त भूमि में अपने हिस्से को अलग करवाने के विचार से दिनांक 26.03.2021 को अपने पति के साथ जाकर जमाबन्दी की नकल प्राप्त की तो जमाबन्दी में अपीलार्थी का नाम नहीं था। इस पर हल्का पटवारी से जानकारी प्राप्त करने पर अवगत करवाया गया कि रूगनाथसिंह उर्फ रघुनाथसिंह के स्वर्गवास पर जो विरासत का नामान्तरकरण स्वीकार किया गया उस समय केवल उनके तीन पुत्रों व पत्नी का ही नाम दर्ज किया गया था तब इसकी जानकारी अपीलान्त को हुई। अपीलान्त द्वारा नामान्तरकरण संख्या 533 को निरस्त करने हेतु अनुरोध किया गया है।

अपील के साथ अपीलान्त अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत किया गया जिसमें अपीलान्त ने निवेदन किया है कि अपीलान्त विवाहित है एवं अपने परिवार के साथ अलग निवास करती है इस कारण उसने विरासत में प्राप्त उक्त भूमि में अपने हिस्से को अलग करवाने के विचार से दिनांक 26.03.2021 को अपने पति के साथ जाकर जमाबन्दी की नकल प्राप्त की तो जमाबन्दी में अपीलार्थी का नाम नहीं था। इस पर हल्का पटवारी से जानकारी प्राप्त करने पर अवगत करवाया गया कि रूगनाथसिंह उर्फ रघुनाथसिंह के स्वर्गवास पर जो विरासत का नामान्तरकरण स्वीकार किया गया उस समय केवल उनके तीन पुत्रों व पत्नी का ही नाम दर्ज किया गया था तब इसकी जानकारी अपीलान्त को नामान्तरकरण संख्या 533 की प्रथमबार जानकारी दिनांक 26.03.2021 को हुई इससे पहले कोई जानकारी नहीं थी। प्रथम जानकारी से यह अपील अन्दर म्याद प्रस्तुत है। दिनांक 26.03.2021 को जानकारी होने पर उक्त अपील को अन्दर म्याद सुमार करवाया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टगणों को नोटिस जारी किया गया। रजिस्टर ए.डी की रसीदे शामिल मिसल है। रेस्पोडेन्टगण संख्या 07 को न्यायालय में उपस्थित होने हेतु अवसर दिये जाने के बावजूद रेस्पोडेन्ट संख्या 07 उपस्थित नहीं होने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

रेस्पोडेन्ट संख्या 06 द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 05 म्याद अधिनियम का जवाब पेश किया गया जिससे शामिल मिसल किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 06 द्वारा प्रस्तुत जवाब का संक्षेप तथ्य इस प्रकार है :-

अपीलार्थी द्वारा नामान्तरकरण संख्या 533 ग्राम गिलाकोर के विरुद्ध अपील पेश की गई है। रूगनाथसिंह का देहान्त दिनांक 18.02.2003 को हो गया था जिनके वारिसान में कृपालसिंह, परबतसिंह, कानसिंह व धूलकंवर के नाम भरा गया। धूल कंवर स्व. रूगनाथसिंह की पत्नी है इस तरह उक्त जमीन रूगनाथसिंह के देहान्त के बाद उपरोक्त सभी के नाम से नामान्तरकरण भरा गया। नामान्तरकरण स्वीकृत करते वक्त धूलकंवर जीवित थे जिनका देहान्त वर्ष 2014 में हुआ। अपीलार्थी ने धूलकंवर के देहान्त के बाद भरा गया नामान्तरकरण के विरुद्ध कोई अपील नहीं की गई है इसलिए इस आधार पर अपीलार्थी की उक्त अपील चलने योग्य नहीं है। धूलकंवर के देहान्त से पूर्व वर्ष 2011 में कृपालसिंह का देहान्त हो चुका है जो धूलकंवर व रूगनाथसिंह का जायन्दा पुत्र है कृपालसिंह के देहान्त के बाद वादग्रस्त भूमि का नामान्तरकरण भी भरा गया उसकी भी अपीलार्थी को बखूबी जानकारी है। धूलकंवर, कृपालसिंह परबतसिंह व कानसिंह के मध्य वादग्रस्त भूमि का दिनांक 19.07.2006 को आपसी सहमति से बंटवाडा उप तहसीलदार बालेसर के समक्ष पेश हुआ उसी दिन उक्त बंटवाडे को तस्दीक किया गया। इस तरह स्वर्गीय रूगनाथसिंह के हिस्से की भूमि का तीनो पुत्र व इनकी माता धूलकंवर के बीच में बंटवाडा हो गया। धूलकंवर का हिस्सा परबतसिंह के साथ रहा। बंटवाडे के पश्चात् परबतसिंह द्वारा अपनी माता धूलकंवर के साथ बंटवाडे में प्राप्त हुई भूमि का हकतर्क करवाया गया जो उपपंजीयक बालेसर के समक्ष पंजीकृत हुआ। इस तरह उपरोक्त सभी विवादास्पद पंजीयक बालेसर के द्वारा पंजीकृत है तथा नामान्तरकरण तहसीलदार बालेसर द्वारा



स्वीकृत है। अपीलार्थी को सभी तथ्यों की भली भांति जानकारी थी। रेस्पोंडेन्ट संख्या 06 द्वारा उक्त अपील को म्याद बाहर से खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 5 द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 05 म्याद अधिनियम का जवाब पेश किया गया जिससे शामिल मिसल किया गया। रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 5 द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जिसमें अंकित किया गया है कि रूगनाथसिंह उर्फ रघुनाथसिंह प्रथम श्रेणी के वारिस उनके तीन पुत्र कृपालसिंह, पर्वतसिंह, कानसिंह व पुत्री गुलाबकंवर हुई। अपीलार्थी विवाहित है एवं उनके परिवार के साथ निवास करती है। दिनांक 26.02.2021 को अपने पति के साथ जाकर हल्का पटवारी की जमाबंदी की नकले प्राप्त करने पर अपीलार्थी को प्रथम बार जानकारी हुई थी इससे पूर्व अपीलार्थी को जानकारी रेकॉर्ड में नाम बाबत नहीं रही होगी। रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 5 द्वारा अपील को स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है।

पत्रावली में बहस की गई। बहस सूनी गई। अपीलान्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों को दौहराया गया एवं वादग्रस्त आराजी को अपने पिता की स्व. अर्जात भूमि बताते हुए उसमें अपीलान्त का भी हिस्सा होने के तर्क दिये गये। रेस्पोंडेन्ट संख्या 06 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस में बताया कि अपीलान्त को विवादित नामान्तकरण की पूर्व में जानकारी थी। विवादित नामान्तकरण के पश्चात् वादग्रस्त आराजी का विधिवत रूप से बंटवाडा किया गया एवं रूगनाथसिंह उर्फ रघुनाथसिंह की पत्नी द्वारा अपना हक पुत्र परबतसिंह को हकतर्क किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्त द्वारा अपनी अपील के संलग्न धारा 05 म्याद का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसका अवलोकन किया गया। मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र में उल्लेखित कारणों पर भी मनन किया गया। अपीलान्त द्वारा अपने मियाद प्रार्थना पत्र में अंकित किया गया है कि उनको विवादित नामान्तकरण की सर्वप्रथम जानकारी 26.03.2021 को हुई थी। विवादित नामान्तकरण का अवलोकन किया गया। विवादित नामान्तकरण संख्या 533 वर्ष 2004 में भरा गया था। अपीलान्त द्वारा 17 वर्ष बाद विवादित नामान्तकरण की अपील प्रस्तुत की गई है अपीलान्त द्वारा इतने वर्ष पश्चात् अपील पेश करने का कोई ठोस कारण अपनी अपील या म्याद प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त विवादित नामान्तकरण के पश्चात् वादग्रस्त आराजी का सहमति से बंटवाडा उप तहसीलदार बालेसर के समक्ष पेश होने पर सहमति से बंटवाडा भी किया जा चुका है एवं विभिन्न प्रकार के दस्तावेज पंजीकृत किये गये हैं। जिसका अंकन अपीलान्त द्वारा अपनी अपील में नहीं किया गया है और न ही अपीलान्त द्वारा पंजीकृत दस्तावेजों एवं बंटवाडे के विरुद्ध किसी अन्य न्यायालयों में अपील दायर की गई है।

अतः प्रस्तुत अपील धारा 05 मियाद अधिनियम के तहत पोषणीय नहीं होने से अपीलान्त की अपील को अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारन अपना-अपना वहन करे।

फैसला आज दिनांक 10/6/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया



(रामजी भाई केलवी)
पीताक्षीण्ड अधिकारी,
एवं उपखण्ड अधिकारी,
बालेसर